

6/8/2020

पत्रावली पेश हुई। वकील श्री हरिहर/ वकील

श्री ने अस्ति किया कि प्र. पत्र के मूल का
निस्कारण पूर्व में दिनांक 4.5.18 को राजस्व
अधिकार से राजीनामा से हो चुका है। प्र. पत्र
पलाने का कोई औचित्य नहीं है। मूल का
अवलोकन करने पर निस्कारण पूर्व में ही होना
पाया गया है। अतः प्र. प्र. पलाने का कोई औचित्य
नहीं है। प्र. पत्र रद्द किया जाता है। फिलहाल
केवल शुभारंभ नंबर से प्र. की जाये। अतः
मूल का केस नगम करे

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ जिला-अजमेर

